भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 223

जिसका उत्तर सोमवार, 22 जुलाई, 2024/31 आषाढ़, 1946 (शक) को दिया गया

जनजातीय क्षेत्रों हेतु नाबार्ड द्वारा कार्यान्वित योजनाएं

223. श्रीमती देलकर कलाबेन मोहनभाई:
श्री रविंद्र दत्ताराम वाइकर:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने विगत तीन वर्षों और वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान देश के जनजातीय क्षेत्रों के लोगों के कल्याण के लिए राज्य-वार विशेषकर दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा महाराष्ट्र हेतु कोई योजना कार्यान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा महाराष्ट्र में उक्त अवधि के दौरान उक्त योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए आवंटित निधि का ब्यौरा क्या है तथा इसके परिणामस्वरूप जनजातीय लोगों को जिला-वार क्या लाभ प्राप्त हुआ है; और

(घ) देश में जनजातीय समुदायों विशेषकर दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव तथा महाराष्ट्र के जनजातीय समुदायों को सहायता प्रदान करने के लिए नाबार्ड द्वारा उठाए गए कदमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): नाबार्ड 2003-04 से एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहा है, जिसके अंतर्गत, परियोजनाओं को जनजातीय विकास निधि (टीडीएफ) के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है, जिसका लक्ष्य देश के जनजातीय परिवारों को संपोषणीय आजीविका प्रदान करना है। टीडीएफ की पहली परियोजना वर्ष 2005-06 में स्वीकृत की गई थी और तब से, नाबार्ड द्वारा 1026 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिससे 5.86 लाख एकड़ क्षेत्र को कवर करने वाले 6.27 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। इसके अलावा, पूरे भारत में जनजातीय विकास कार्यक्रमों के माध्यम से संचयी रूप से लगभग 2.9 करोड़ पेड़ लगाए गए हैं।

विगत तीन वर्षों के दौरान टीडीएफ के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है।

दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव और महाराष्ट्र में जनजातीय विकास निधि के अंतर्गत प्रदान की गई सहायता का विवरण अनुबंध- II में दिया गया है।

विभिन्न राज्यों में जनजातीय विकास निधि (टीडीएफ) के माध्यम से अर्जित लाभ निम्नानुसार हैं:

1. फल/वृक्षारोपण/हर्बल फसलों और वनरोपण पर ध्यान केंद्रित करते हुए बागवानी विकास।
2. संबद्ध कृषि कार्यकलाप जैसे रेशम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन और सूक्ष्म उद्यमिता विकास। इन कार्यकलापों का उद्देश्य आय सृजन के अन्य स्रोतों का पता लगाना और जनजातीय परिवारों के लिए आजीविका का संपोषणीय विकल्प स्थापित करना है।
3. मेढ़ पर वन प्रजातियों का वृक्षारोपण करने से दीर्घावधि में सांतरित आय सुनिश्चित होती है।

4. जल संसाधन विकास और मृदा संरक्षण इस परियोजना के अभिन्न अंग हैं, जो जलवायु के अनुरूप कृषि में सहायक होते हैं|
5. जनजातीय परिवारों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उपाय किए जाते हैं।
6. यह परियोजना सहकारी समितियों और उत्पादक संगठनों के गठन के माध्यम से संस्था निर्माण पर बल देती है। कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण और विपणन के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
7. इस परियोजना में विकास के लिए परिवार-आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाता है, जिसमें सफलता के लिए महत्वपूर्ण कारक के रूप में स्थिरता पर जोर दिया जाता है।
8. कठिन और उबाऊ श्रम को कम करना, ऑन फार्म और ऑफ फार्म आय सृजक कार्यकलापों को बढ़ावा देकर, और बचत और मित व्ययिता की आदतों को बढ़ावा देने के लिए स्व-सहायता समूहों के गठन की सुविधा जैसी पहल के माध्यम से महिला विकास को प्राथमिकता दी जाती है।

*****

अनुबंध-I

जनजातीय क्षेत्रों के लिए नाबार्ड द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के संबंध में दिनांक 22.07.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 223 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

वित्त वर्ष 2021-22, वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान जनजातीय विकास निधि (टीडीएफ) के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-22		2022-23		2023-24	
		स्वीकृत परियोजनाएं	स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये)	स्वीकृत परियोजनाएं	स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये)	स्वीकृत परियोजनाएं	स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	आंध्र प्रदेश	2	6.19	2	6.16	5	14.56
3	अरुणाचल प्रदेश	3	4.50	2	2.88	0	0.00
4	असम	2	2.87	5	12.81	7	13.12
5	बिहार	2	5.68	1	1.99	1	0.40
6	छत्तीसगढ	2	5.80	2	5.56	2	4.01
7	दादर एवं नगर हवेली	0	0.00	0	0.00	0	0.00
8	दमन और दीव	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9	गुजरात	4	12.41	3	5.85	3	4.43
10	हिमाचल प्रदेश	2	2.88	1	1.62	1	1.36
11	जम्मू एवं कश्मीर	1	1.51	1	1.36	0	0.00
12	झारखंड	6	20.07	0	0.00	6	16.05
13	कर्नाटक	2	6.53	4	8.32	2	2.68
14	केरल	2	5.04	2	6.24	2	6.70
15	मध्य प्रदेश	6	15.93	6	12.61	3	7.59
16	महाराष्ट्र	1	3.12	3	9.75	0	0.00
17	मणिपुर	1	1.30	3	4.30	1	1.42
18	मेघालय	1	1.44	1	1.44	1	1.62
19	मिजोरम	1	1.36	1	1.37	1	1.36
20	नागालैंड	2	2.84	2	2.88	2	2.88
21	ओडिशा	6	20.08	9	30.13	6	11.98
22	राजस्थान	2	5.43	2	4.36	1	2.24
23	सिक्किम	2	3.02	2	1.94	1	1.30
24	तमिलनाडु	2	4.99	2	6.57	2	6.38
25	तेलंगाना	2	4.49	2	6.63	3	10.75
26	त्रिपुरा	0	0.00	1	1.44	3	4.95
27	उत्तर प्रदेश	6	18.99	6	13.93	2	3.38
28	उत्तराखंड	1	1.08	2	2.72	2	2.92
29	पश्चिम बंगाल	2	5.35	2	5.13	2	4.64
	कुल	**63**	**162.90**	**67**	**157.99**	**59**	**126.72**

अनुबंध-II

जनजातीय क्षेत्रों के लिए नाबार्ड द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के संबंध में दिनांक 22.07.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 223 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

वित्त वर्ष 2021-22, वित्त वर्ष 2022-23, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान महाराष्ट्र, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में जनजातीय विकास निधि (टीडीएफ) के अंतर्गत प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**जिला**	**परियोजना का नाम**	**ब्लॉक**	**क्षेत्रफल (एकड़)**	**परिवारों की संख्या**	**स्वीकृति की तिथि**	**स्वीकृत अनुदान (करोड़ रुपये)**	**स्थिति**
1	महाराष्ट्र	चंद्रपुर	टीडीएफ-वरोरा	वरोरा	450	500	14-03-2023	3.33	जारी
2	महाराष्ट्र	गडचिरोली	टीडीएफ-एटापल्ली	इटापल्ली	452	502	14-03-2023	3.29	जारी
3	महाराष्ट्र	नंदुरबार	टीडीएफ-नटावड	नंदुरबार	450	500	31-03-2023	3.11	जारी
4	महाराष्ट्र	जलगांव	टीडीएफ- रेवर-बीएआईएफ	रेवर	450	500	16-03-2022	3.12	जारी
5	दादर और नगर हवेली	उक्त अवधि के दौरान दादर और नगर हवेली से जनजातीय विकास परियोजना के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ हैं							
6	दमन और दीव	उक्त अवधि के दौरान दमन और दीव से जनजातीय विकास परियोजना के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ हैं							